सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment
भारत सरकार/Government of India
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

परिवाद संख्या 15572/1102/2024

के मामले में —

श्री जितेन्द्र सिंह परिहार

... परिवादी

बनाम

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
कैनरा बैंक, बैंगलूरू – 560002 (कर्नाटक)

... प्रतिवादी

1. परिवाद का सार —

1.1 श्री जितेंद्र सिंह परिहार, 100% दृष्टिहीन व्यक्ति ने कैनरा बैंक, सी.टी.आर.सी. सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्लील शाखा द्वारा चेक बुक जारी न करने से सम्बन्धित एक अभ्यावेदन दिनांक 28.05.2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

1.2 परिवादी ने कहा कि कैनरा बैंक, सी.टी.आर.सी. सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली में उसका एक बचत खाता संख्या 2948101053159, व IFSC कोड न. CNRB0002948 है। बैंक मैनेजर कहा कि परिवादी हस्ताक्षर नहीं करते है अंगूठा लगाते है। इसलिए चेक बुक की सुविधा नहीं दे सकते, और चेक बुक से संबन्धित प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया।

1.3 परिवादी ने सम्बन्धित बैंक से चेक बुक दिलाने का इस न्यायालय से निवेदन किया।

2. प्रतिवादी को नोटिस जारी —

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टि दिव्यांग / दिव्यांग व्यक्तियों को चेकुबुक आदि बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने से सम्बन्धित सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों को जारी पत्र संख्या RBI/2012-13/DBOD No. Leg.BC.38/9.07.005/2012-13 दिनांक 05.09.2012 के आलोक में इस न्यायालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैनरा बैंक, बैंगलूरू को 30 दिनों के भीतर परिवादी के अभ्यावेदन

पर टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिनाक 22.07.2024 जारी किया गया। उसके पश्चात दिनाक 23.09.2024 को एक अनुस्मारक भी जारी किया गया।

3. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर —

सहायक महाप्रबन्धक, कैनरा बैंक ने उत्तर दिनांक 01.10.2024 में अन्य बातों के साथ कहा कि सम्बन्धित बैंक शाखा अधिकारी परिवादी ग्राहक को चेकबुक जारी करने के मामलें में जारी दिशा निर्देशों को ठीक से समझ नहीं सका था जिसके कारण चेकबुक जारी नहीं किया जा सका। इस न्यायालय द्वारा जब यह मामला प्रतिवादी के संज्ञान में आने पर सम्बन्धित बैंक के वर्तमान शाखा प्रबन्धक को परिवादी ग्राहक से व्यक्तिगतरूप से मिलकर उसके शिकायत का निवारण करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 02.08.2024 को सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक ने परिवादी ग्राहक के निवास पर जाकर उनसे चेकबुक हेतु प्रार्थना-पत्र लिया। डाक द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2024 भेजकर परिवादी ग्राहक को चेकबुक जारी करने हेतु बैंक द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर —

4.1 परिवादी ने प्रत्युत्तर दिनांक 09.01.2025 प्रस्तुत कर कहा कि उसे कैनरा बैंक से चेकबुक प्राप्त हो गया है, और इस न्यायालय से यहा परिवाद बन्द करने का निवेदन किया।

5. अवलोकन एवं अनुसंशाएँ —

5.1 उपर्युक्त तथ्यों और मिसिल पर उपलब्ध पत्रावलियों के आलोक में प्रतिवादी बैंक द्वारा परिवादी के शिकायत का निवारण कर दिया गया है। इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे यहीं बन्द किया जाता है।

5.2 तथापि यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बैंक के दिव्यांगजन ग्राहकों को प्रदत्त उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अतः इस न्यायालय द्वारा यह अनुसंशा की जाती है कि समय-समय पर प्रतिवादी बैंक द्वारा संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित किए जाएँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 76 के अनुसार, प्रतिवादी बैंक इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के भीतर अवगत कराएँ।

5.3 यह आदेश मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
PRAVEEN PRAKASH AMBASHTA
Date: 20-01-2025 17:12:58

(प्रवीण प्रकाश अम्बष्ठ)
उप मुख्य आयुक्त